



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 577]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 20, 2016/श्रावण 29, 1938

No. 577]

NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 20, 2016/SRAVANA 29, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2016

**सा.का.नि. 808(अ).**—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, जिसमें उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है उक्त धारा की अपेक्षानुसार प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियम भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, जिसकी प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

आक्षेप और सुझाव, जो प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से उक्त पैंतालीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पहले प्राप्त होते हैं, केन्द्रीय सरकार द्वारा उन पर विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप नियम की बाबत ऐसे आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001 को अग्रेषित किया जा सकेगा ।

**प्रारूप नियम**

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "कीटनाशी (चतुर्थ संशोधन) नियम 2016 है" ।

(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 के नियम 10 के उपनियम (1क) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(1क) ऐसा व्यक्ति जो विक्रय, स्टॉक या विक्रय के लिए प्रदर्शन या कीटनाशी के वितरण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन करता है, ऐसा स्वामी या नियोजन किए जाने वाले व्यक्ति के पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि विज्ञान या जैव रसायन या जैव प्रौद्योगिकी या जीव विज्ञान या ऐसे विज्ञान में जिसमें रसायन विज्ञान या वनस्पति विज्ञान या प्राणि-विज्ञान के विषय भी सम्मिलित हैं, स्नातक डिग्री हो, या

किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि या बागवानी में या संबद्ध विषय में जिसमें वनस्पति संरक्षण और नाशकजीवमार प्रबंधन के संबंध में विषय-वस्तु का पाठ्यक्रम सम्मिलित है, एक वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम :

परंतु ऐसे सभी फुटकर विक्रेता या डीलर जिनके पास इन नियमों की अधिसूचना की तारीख को विहित अर्हता के बिना विधिमान्य अनुज्ञप्ति है, उक्त अर्हताएं पूरी करने के लिए दो वर्ष की अवधि का समय दिया जाएगा।"

[फा. सं. 13035/28/2014-पी पी-I (खंड iii)]

अश्वनी कुमार, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 1650(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 1971 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :-

1. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 24 जुलाई, 1976
2. सा.का.नि. 736(अ), तारीख 9 दिसंबर, 1977
3. सा.का.नि.1064(अ), तारीख 7 नवंबर, 1988
4. सा.का.नि. 533(अ), तारीख 6 अगस्त, 1993
5. सा.का.नि. 371(अ), तारीख 20 मई, 1999
6. सा.का.नि. 372(अ), तारीख 20 मई, 1999
7. सा.का.नि. 548(अ), तारीख 12 सितंबर, 2007
8. सा.का.नि. 692(अ), तारीख 7 नवंबर, 2006
9. सा.का.नि.128(अ), तारीख 26 फरवरी, 2009
10. सा.का.नि. 174(अ), तारीख 5 मार्च, 2010
11. सा.का.नि. 474(अ), तारीख 11 जुलाई, 2013
12. सा.का.नि.797(अ), तारीख 13 नवंबर, 2014
13. सा.का.नि. 840(अ), तारीख 5 नवंबर, 2015 और
14. सा.का.नि. 164(अ), तारीख 15 फरवरी, 2016

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**  
**(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th August, 2016

**G.S.R. 808(E).**—The following draft rule further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rule shall be taken into consideration after the expiry of forty-five days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

Objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rule before the expiry of the aforesaid period of forty-five days shall be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rule may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110 001.

**DRAFT RULE**

1. (1) These rules may be called “ the Insecticides (Fourth Amendment) Rules, 2016”.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In the Insecticides Rules, 1971, in rule 10, for sub-rule (1A), the following shall be substituted namely:-

“(1A) person who applies for the grant of licence to sell, stock or exhibit for sale or distribute insecticides shall possess or employ a person possessing a graduate degree in Agricultural Sciences or Biochemistry or Biotechnology or Life Sciences or in Science with Chemistry or Botany or Zoology from a recognized university or Institute ; Or

One year diploma course in Agriculture or Horticulture or related subjects from any government recognized university or institute with course content on plant protection and pesticides management:

Provided that all retailers or dealers possessing a valid licence without the prescribed qualification as on the date of notification of these rules shall be allowed a period of two years to comply the said qualifications.”

[F. No. 13035/28/2014-PP-I (vol.iii)]

ASHWANI KUMAR, Jt. Secy.

**Note :** The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section 3, Sub-section (i) *vide* No. G.S.R. 1650(E), dated 19<sup>th</sup> October, 1971 and subsequently amended *vide*:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24<sup>th</sup> July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9<sup>th</sup> December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7<sup>th</sup> November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated 6<sup>th</sup> August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20<sup>th</sup> May, 1999,
6. G.S.R. 372(E), dated 20<sup>th</sup> May, 1999,
7. G.S.R. 548(E), dated 12<sup>th</sup> September, 2007,
8. G.S.R. 692(E), dated 7<sup>th</sup> November, 2006,
9. G.S.R. 128(E), dated 26<sup>th</sup> February, 2009,
10. G.S.R. 174(E), dated 5<sup>th</sup> March, 2010,
11. G.S.R. 474(E), dated 11<sup>th</sup> July, 2013,
12. G.S.R. 797(E), dated 13<sup>th</sup> November, 2014,
13. G.S.R. 840(E), dated 5<sup>th</sup> November, 2015 and
14. G.S.R. 164(E), dated 15<sup>th</sup> February, 2016